कार्यालय अंचल अधिकारी मुरहू

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या –...10...../2016–17

श का कम) तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी सहित
4.09.2016	अपर समाहर्त्ता, खूँटी के पत्रांक 742/रा0 दिनांक 08.07.2016 के आलोक में अभिलेख आरम्भ की जाती है। आवेदक श्री दशरथ गौझू, पिता–स्व0 लक्ष्मी नाथ गौझू, ग्रम–गम्हारिया पो0 जलटण्डा, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के द्वारा अवैध नामांतरण को रद्द करने के संबंध में आवेदन पत्र दिया हैं। भूमि का विवरण निम्नवत है :– मौजा — थाना — खाता सं0 — प्लॉट सं0 — रकबा गम्हारिया — मुरहू(263) — 28/1 — 1144 — 0.79 ए0 भूमि आवेदन पत्र संबंधित राजस्व कर्मचारी को जाँच हेतु दें, अभिलेख दिनांक 30.09.2016 को रखें। अंचल अधिकारी मुरहू	
0.09.2016	अभिलेख उपस्थापित। रा0 कर्म0 एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, रा0 कर्म0 का जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा गम्हारिया, थाना–मुरहू खाता सं0–28/1 प्लॉट सं0 1144, रकबा–0.79 ए0 भूमि पंजी ii के पेज सं0 41 भाग i में लक्ष्मी नाथ गौझू पिता–लोहरा गौझू के नाम से दर्ज है। खाता सं0 28/1 प्लॉट सं0 1144 रकबा–0.79 ए0 भूमि में से मद्ये रकबा 0.10 ए0 भूमि पंजी ii के पेज सं0 21 भाग iii पर बिरसा स्वाँसी, पिता–मंजू स्वाँसी के नाम से दा0खा0 वाद सं0 203R27/2005–06 दर्ज किया गया है। आवेदक तथा बिरसा स्वाँसी को नोटिस करें, अभिलेख दिनांक 28.10.2016 को रखें। अंचल अधिकारी मुरहू	
8.10.2016	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष का तमिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रथम पक्ष की ओर से अपनी उपस्थिति के साथ प्रश्नागत भूमि का पट्टा छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित उनकी ओर से किसी तरह का दस्तावेज प्राप्त नहीं है, अगली तिथि दिनांक 10.11.2016 के रखें। अंचल अधिकारी मुरहू	
0.11.2016	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए, प्रथम पक्ष की ओर से पूर्व में दस्तावेज प्राप्त है, द्वितीय पक्ष की ओर से खरीदगी भूमि की	

पट्टा सं 597/594 दिनांक 05.11.2004 की छाया प्रति तथा दा0खा0 वाद सं0 203/05-06 निर्गत शुद्धि पत्र की छाया प्रति, लगान निर्गत वर्ष 2006-07, 2010-11 तक वासूली की गई रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। तथा अर्जुन सिंह (विक्रेता) द्वारा लिखा गया हैण्ड नोट, गवाहों का हस्ताक्षर एवं अगुठा निशान युक्त छाया प्रति एवं खरीदगी भूमि पर बना हुआ मकान का तस्वीर(चित्र), उर्जा विपत्र (बिजली बिल) संलग्न कर दाखिल किया है। वन अधिकार से संबंधित बैठक के कारण वाद का निपटारा नहीं हो सकता, अगली तिथि दिनांक 17.11.2016 को रखें।

अंचल अधिकारी
मुरहू

17.11.2016 अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दिनांक 18.11.2016 को महामहिम राज्यपाल झारखण्ड की खूँटी अवागमण पर विधि व्यवस्था में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 25.11.2016 को रखें।

अंचल अधिकारी
मुरहू

25.11.2016 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम् पक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थापित हुए उनके द्वारा उक्त जमाबंदी को रद्द करने हेतु अपना पक्ष लिखित स्प में आवेदन के साथ नापी से संबंधित आदेश नकल की छाया प्रति प्रस्तुत किया। विधि व्यवस्था संघारित में व्यस्त अगली तिथि दिनांक 06.12.2016 को रखें।

अंचल अधिकारी
मुरहू

06.12.2016 अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष उपस्थित निर्धारित तिथि को 20 सूत्री की लम्बी बैठक के कारण विचार नहीं किया जा सका, अगली तिथि दिनांक 15.12.2016 को रखें।

अंचल अधिकारी
मुरहू

15.12.2016 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम् एवं द्वितीय पक्ष दोनों उपस्थित(लॉ इन ऑर्डर) सैको बैठक में व्यस्त, आदेश हेतु अभिलेख दिनांक 02.02.2017 को रखें।

अंचल अधिकारी
मुरहू

02.02.2017 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न सभी राजस्व कागजातों का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समर्पित कागजात अभिलेख में संलग्न है। विवादित भूमि मौजा गम्हारिया थाना सं0 263 के खाता सं0 28 प्लॉट सं 1144 कुल रकबा 0.79 ए0 है।

संबंधित राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवादित भूमि मौजा गम्हारिया थाना सं0 263 के खाता सं0 28 प्लॉट सं0 1144 कुल रकबा 0.79 ए0 भूमि सर्वे खतियान में चैन सिंघ वल्द बालु सिंघ कौम रातिया दर्ज है। मौजा गम्हारिया के खाता सं0 28/1 रकबा 0.79 ए0, खाता सं0 100, रकबा 4.09ए0, खाता सं0 123, रकबा 1.45 ए0 खाता सं0 121 रकबा 0.33 ए0, खाता सं0 110 रकबा 0.55 ए0 भूमि पंजी ii के भाग I पृष्ट संख्या 41 में लक्ष्मीनाथ गौझू पिता लोहरा गौझू ग्राम जलटण्डा के नाम से दर्ज है।

मौजा गम्हारिया के खाता सं0 28 प्लॉट सं0 1144 कुल रकबा 0.79 ए0 मद्ये रकबा 0.10 ए0 भूमि पंजी ii में बिरसा स्वांसी पिता मंजु स्वांसी के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या 203R27/2005–06 के आधार पर दर्ज है। चूंकि विवादित मामला मौजा गम्हारिया के खाता सं0 28 प्लॉट सं0 1144 रकबा 0.79 में से 0.10 ए0 भूमि का है। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया गया। प्रथम् पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर उक्त भूमि केवाला पट्टा सं0 948 दिनांक 01.02.1944 के द्वारा खरीद कर लगान देते आ रहे हैं। लगान रसीद वर्ष 2017–18 तक निर्गत है।

द्वितीय पक्ष बिरसा स्वांसी, पिता मंजु स्वांसी ग्राम गम्हारिया के द्वारा उक्त भूमि को दाखिल खारिज कराकर सलाना लगान देते आ रहे हैं। तथा भूमि पर मकान बनाकर रह रहे है। मौजा गम्हारिया के खाता सं0 28 प्लॉट सं0 1144 रकबा कुल रकबा 0.79 ए0 भूमि वर्ष 1944 में क्रय कर सलाना लगान देते आ रहे है। वर्ष 2004 में उसी भूमि को खतियानी रैयत के वंशज के द्वारा बिरसा स्वांसी, पिता मंजु स्वांसी को विक्रय करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक दशरथ गौझू, पिता लक्ष्मीनाथ गौझू ग्राम गम्हारिया के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। द्वितीय पक्ष दाखिल खारिज रद्द करने हेतु सक्ष्म न्यायालय में अपील हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
मुरहू

अंचल अधिकारी
मुरहू